

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।

"ए" ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर-302005

क्रमांक: एफ 4 (ई)(1)(6)/अलेसे-III/523

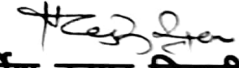
जयपुर दिनांक : 29.04.2021

कार्यालय आदेश

प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ ()/एमसी/संस्था/अराजपत्रित/2020-21/912 दिनांक 27.04.2021 के क्रम में संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग के आदेश क्रमांक प. 2(1)वित्त/राजस्व/2021 दिनांक 29.04.2021 द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार मंगवानी, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर के विरुद्ध कोविड महामारी में अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के लिये तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करने के आदेश प्रदान किये गये हैं।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न हस्ताक्षरकर्ता एतद् द्वारा उक्त श्री मंगवानी, कनिष्ठ लेखाकार को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करते हैं। निलम्बन काल के दौरान श्री मंगवानी, कनिष्ठ लेखाकार को राजस्थान सेवा नियम 53 के अनुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

निलम्बन काल के दौरान उक्त श्री मंगवानी का मुख्यालय कोषालय, जयपुर (शहर) जयपुर रहेगा तथा वे अपनी उपस्थिति प्रतिदिन उपरोक्त कार्यालय में देंगे।


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक: एफ 4 (ई)(1)(6)/अलेसे-III/523

जयपुर दिनांक : 29.04.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. कोषाधिकारी, जयपुर (शहर)
4. श्री राजेन्द्र कुमार मंगवानी, प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. एसीआर/जांच/निजी पत्रावली/गार्ड फाईल


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)